म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

कमांक/बी–6/नियमन/वेयरहाउस/251/पार्ट/3177 भोपाल, दिनांक 6/12/2014

–: परिपत्र :–

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियो मे म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत कृषि जिन्सो के विपणन व्यवस्था संचालित होती है। मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 31 के कृत्यकारियों को कृषि उपज के व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति धारा 32 के तहत मण्डी समिति द्वारा प्रदाय की जाती है।

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 31 के प्रावधान अन्तगर्त कोई भी व्यक्ति किसी अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में, मंडी क्षेत्र में भाण्डागारिक का कार्य अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों, उपविधियों के उपबंधों के अनुसार ही कर सकता है। मंडी अधिनियम, की धारा 32 यह उपबंधित करती है कि धारा 31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति जो मंडी क्षेत्र में कार्य करना चाहता है उसे संबंधित की कृषि उपज मंडी समिति से अनुज्ञप्ति (लायसेंस) लेना आवश्यक है।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत याचिका कमांक 2407/2009 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2009 तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत रिव्यू पिटीशन कमांक/ आर.पी.48/2010–म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन विरूद्ध म. प्र. शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2010 को पारित आदेश में यह अभिर्निधारित किया गया कि निजी वेयर हाउस के साथ ही म. प्र. वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन को भी म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 31 के अंतर्गत संबंधित कृषि उपज मंडी समिति, जिसके क्षेत्रान्तर्गत वेयरहाउस/भाण्डागार संचालित है, से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगा और मंडी समितियों के लिये लागू उपविधि के अंतर्गत आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराना होगी। म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 31 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति, उन वेयरहाउसों/भाण्डागारिकों को भी लेना आवश्यक होगा, जिन्होंने म.प्र. एग्रीकल्चर वेयर हाउस एक्ट,1947 के अंतर्गत लायसेंस प्राप्त किया है।

माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ के आदेश व मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिनियम की धारा 2 (एक) (ञ) में परिभाषित प्रत्येक मंडी कृत्यकारी को अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति (लायसेंस) लेना अनिवार्य है। मंडी अधिनियम में वेयर हाउसिंग निगम/भाण्डागारिक या अन्य किसी संस्था फर्म को लायसेंस से छूट देने का प्रावधान नहीं है।

मण्डी समितियों के लिए लागू उपविधि सन् 2000 की कंडिका 18 में अनुज्ञप्ति के पक्ष में प्रतिभूति लेने एवं अन्य औपचारिकता पूर्ण करने के संबंध में प्रावधान है। इसी प्रकार मण्डी समिति मे कय केन्द्र स्थापित करने बावत अनुज्ञप्ति हेतु उपविधि की कंडिका 27 से 36 तक प्रावधानित है।

म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्र के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 के अधीन नियम 5 से 7 के अनुसार अनुज्ञप्ति हेतु प्रोसेसिंग फीस रूपये 10 हजार एवं अनुज्ञप्ति स्वीकृत की दशा में रुपये 2 लाख जमा करने के साथ–साथ निर्धारित प्रतिभूति के लिए बैंक ग्यारंटी प्रस्तुत करने का प्रावधान है। उक्त नियम में स्पॉट ट्रेडिग के लिये भी अनुज्ञप्ति देने की भी व्यवस्था है।

अतः मंडी क्षेत्र में स्थापित समस्त वेयर हाउसिंग/भंडागारिक को अनिवार्य रूप से अनुज्ञप्ति लेने हेतु मंडी अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जाये एवं यह सुनिश्चित करें कि सभी वेयर हाउसिंग/भंडागारिक द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली गई है और निर्धारित प्रपत्र मे नियमित रूप से जानकारी मंडी समिति को प्रस्तुत की जां रही है। इस संबंध में दिनांक 30 दिसम्बर 2014 तक कार्यवाही पूर्ण की जाकर वस्तुस्थिति से आंचलिक कार्यालय के माध्यम से अवगत करावें।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क./बी–6/नियमन/वेयर-3-3/251/पार्ट/3178 भोपाल, दिनांक 6/12/2014

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त/उपसंचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय........................ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु मंडी समितियों, से प्राप्त जानकारी एकत्रित कर एकजाई जानकारी मुख्यालय को उपलब्ध करायें।
2. अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति............................की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कम्प्यूटर शाखा।

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल